


28.5.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अल्पविक्री प्रकरण नामकायमी में नियत हैं। प्रार्थी द्वारा नामकायमी नहीं करवाई गई है हस्तगत प्रकरण का मूलवाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी। अदम पैरवी में बरिज होने के हस्तगत प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहली है। अतः प्रार्थी पत्र आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में बरिज बिया जाता है। निर्णय के इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नखर से कम है।


(रिया (वी)
IAS

